तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 121/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/220) बअनवान गणपतसिंह बनाम मीरा कंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

गणपतसिंह

बनाम

मीरा कंवर इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री भंवरसिंह तापू अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 54

आदेश

दिनांक 08 जनवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2024 अनवान गणपतसिंह बनाम मीरा कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 394 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा नं. 395 रकबा 0.5827 हैक्टेयर ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट्स विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी तृतीय पक्षकार को बेचान करने व मौके की स्थिति को परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। न्याय हित में रेस्पोडेंट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2024 को अपास्त किया जावे एवं वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य, दखलंदाजी न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2078-2081 ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर के मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 395 रकबा 0.5827 हैक्टेयर किस्म बारानी-1, खसरा नं. 394 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म गे.मु. ढाणी अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलांट का क्रमशः 1/6 एवं 1/24 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विभाजन के वाद के विचाराधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स जज अपील संख्या 121/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/220) बअनवान गणपतसिंह बनाम मीरा कंवर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2024 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अदालत हाजा का उक्त आदेश धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकृत रास्ते के आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर